2023/208 D

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज. सरकार जरिये उपतहसीलदार चितावा कुचामन सिटी		1. कैलाशकंवर पत्नि मालसिंह जाति दरोगा निवासी उमाडा तह. दांतारामगढ़ सीकर 2. प्रतापसिंह पुत्र सुवाराम जाति दरोगा 3. फूलादेवी पत्नि हीराराम जाति दरोगा 4. मदनसिंह पुत्र सुवाराम जाति दरोगा 5. महावीरसिंह पुत्र सुवाराम जाति दरोगा सा. जीजोट तह. कुचामन सिटी। 6. राजूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति दरोगा सा. देवनगर तह. कुचामन सिटी। 7. लखुसिंह पुत्र सुवाराम जाति दरोगा 8. श्रवणसिंह पुत्र सुवाराम जाति दरोगा सा. जीजोट तह. कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :–84/2023 निर्णय दिनांक :–19.07.2023

आदेश

उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 642 रकबा 14.30 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी–3 दर्ज हैं। उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 642 रकबा 14.30 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी–3 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 642 रकबा 14.30 हैक्टर किस्म वारानी–3 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षो से रास्ता कायम हो रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:48 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 642 रकवा 14.30 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)